

विवरण

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार मंजन
शैतिया पिता विश्वनाथ शैतिया को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख
 में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के सुरेश सिंह
 द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम खण्डानिशन खाता नं. 79
खेसरा नं. 1205 रकबा 0.02 रेंव
 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई
 के दौरान सुरेश सिंह ने कोई भी लिखित कयम नहीं दिया है कि उनके
 पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया
 है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त
 है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में
 उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार
 है कि विषयगत भूमि ग्राम दर्ज नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने यह भी प्रतिवेदित किया
 है कि विषयगत भूमि ग्राम खण्डानिशन खाता नं. 79 प्लॉट नं
1205 सर्वे खतियान में किस्म खण्डानिशन दर्ज है जो
 सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0
 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है
 नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है।
 उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मंजन शैतिया पिता विश्वनाथ शैतिया
 के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध
 जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
<u>खण्डानिशन</u>	<u>46</u>	<u>79</u>	<u>1205</u>	<u>0.02 रेंव</u>

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016
 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017
 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार
 के पत्रांक 1704/ रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार
 अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितीकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
 बिलाबा
3/04/21

अंचल अधिकारी,
 बिलाबा
3/04/21